**राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।**
**वाद संख्या–68/2023**
**आशा देवी बनाम् सुनीता गुप्ता**

यह वाद श्रीमती आशा देवी, पति–श्री कमलेश प्रसाद, पता–मुहल्ला जंगल बाजार रोड, वार्ड संख्या–20, थाना–डुमराँव, जिला–बक्सर द्वारा श्रीमती सुनीता गुप्ता, पति–श्री नारायण गुप्ता, गोला रोड, वार्ड संख्या–32, पोस्ट+थाना– डुमराँव, जिला–बक्सर(वर्तमान मुख्य पार्षद डुमराँव नगर परिषद्, बक्सर) के विरुद्ध **बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) के तहत निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया** Holding Tax को अदा नहीं करने के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर परिषद्, डुमराँव, जिला–बक्सर, बिहार के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्रीमती आशा देवी का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री राकेश कुमार, अनुमण्डल दंडाधिकारी, डुमराँव एवं श्री विद्यानाथ पासवान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता, वर्तमान में मुख्य पार्षद, नगर परिषद् डुमराँव, बक्सर है। इनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, मुख्य पार्षद के पद पर निर्वाचन में विजय प्राप्त की गयी है। अतः उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के कारण इन्हें अविलम्ब अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा सर्वप्रथम श्रीमती गुप्ता के नामांकन–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनके द्वारा 04 संपति का ब्योरा अंकित किया गया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि प्रतिवादी ने केवल एक संपति का Holding Tax जमा किया है। आगे उनके द्वारा दावा किया गया कि प्रतिवादी एवं उनके पति के नाम से कई भूखण्ड एवं संपति नगरपालिका क्षेत्र में मौजूद है, परन्तु उनके द्वारा इन्हें नामांकन–पत्र में, न तो दर्शाया गया है और न ही इनका Holding Tax जमा किया गया है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा अपने वाद–पत्र के साथ संलग्न किये गये कैवाला, वसिका एवं बख्शीशनामा आदि का अवलोकन बारी–बारी से कराया गया। वादी द्वारा सर्वप्रथम Deed No.10046, दिनांक–12.11.2020 का अवलोकन कराया गया। जिसमें क्रेता सुनीता गुप्ता एवं बिक्रेता मोती लाल गोंड है। खरीदे गये भूखण्ड की अवस्थिति नगरपालिका दर्शायी गयी है। आगे उनके द्वारा Deed No.13265, दिनांक–31.12.2012 का अवलोकन कराया गया, जो कि एक

बख्शीशनामा है। इस भूखण्ड की अवस्थिति भी नगरपालिका डुमराँव के अन्दर दर्शायी गयी। आगे उनके द्वारा Deed No.11205 एवं Deed No.11206 दिनांक–31.10.2012 का अवलोकन कराया गया, जो कि एक बख्शीशनामा है। इस भूखण्ड की अवस्थिति भी नगरपालिका डुमराँव के अन्दर दर्शायी गयी। उक्त सभी बख्शीशनामा मुस्मात चंपा देवी द्वारा श्रीमती सुनीता देवी के पक्ष में किया गया।

उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उक्त सभी भूखण्ड स्वयं श्रीमती सुनीता देवी के नाम से है तथा सभी नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है। इनके द्वारा उक्त भूखण्डों को छिपाया गया है तथा इसका Holding Tax भी जमा नहीं किया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के पति श्री प्रताप नारायण गुप्ता हैं। उनके नाम से भी नगर परिषद् क्षेत्र में अनेकों भूखण्ड है, जिसका विवरण उनके द्वारा अनुलग्नक श्रृंखला–05 में दिया गया है। प्रतिवादी के द्वारा इन भूखण्डों का भी विवरण नामांकन–पत्र में अंकित नहीं किया गया है और न ही इनका Holding Tax जमा किया गया। आयोग द्वारा संलग्न साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। आगे उनके द्वारा आयोग का बताया गया कि प्रतिवादी के एक अन्य भूखण्ड का पता चलने के उपरांत इसका विवरण उनके द्वारा पूरक शपथ–पत्र के माध्यम से पटल पर लाया गया था। उनके द्वारा दावा किया गया कि इस भूखण्ड का Holding Tax भी प्रतिवादी के द्वारा नहीं दिया गया। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा Deed No.7681, दिनांक–14.09.2020 का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें क्रेता सुनीता गुप्ता एवं बिक्रेता संतोष गोंड हैं। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि कैवाला में स्पष्ट रूप से भूखण्ड की अवस्थिति डुमराँव नगरपालिका क्षेत्र अंकित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा दिये गये साक्ष्यों का सत्यापन जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से भी हो चुका है। उनके द्वारा आयोग को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये, सत्यापन प्रतिवेदन पत्रांक–0637/पं0, दिनांक–25.06.2024 एवं पत्रांक–1262/पं0, दिनांक–13.09.2024 का अवलोकन कराया गया तथा प्रतिवादी एवं उनके पति के ऊपर बकाया Holding Tax की राशि की तरफ आयोग का ध्यानाकृष्ट कराया गया। अंत में उनके द्वारा साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी को अविलम्ब मुख्य पार्षद के पद से पदमुक्त करने का आग्रह किया गया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार द्वारा सर्वप्रथम Maintainability को प्रश्नगत किया गया तथा इस पर निर्णय को अनुरोध किया गया। उनके इस माँग पर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग के आदेश दिनांक–11.06.2024 का अवलोकन कराया गया तथा बताया गया कि Maintainability से संबंधित सुनवाई हो चुकी है और आयोग द्वारा इस पर अपना निर्णय दिया जा चुका है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका विरोध अधिकारिता को लेकर नहीं है, बल्कि **रजनी कुमारी वाद** के आलोक में Appreciation of Evidence को लेकर है।

आगे प्रतिवादी का पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा रखा गया। उनके द्वारा सर्वप्रथम जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के कमियों को रेखांकित किया गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी एवं उनके पति दिनांक–13.06.2024 को Holding Tax हेतु पहली बार Demand भेजा गया है, परन्तु उक्त किसी Demand में कोई भी Holding संख्या अंकित नहीं है। इसलिये जबकि पूर्व में कोई Demand नहीं था, तो Dues का प्रश्न ही नहीं उठता।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा जिन भूखण्डों का ब्योरा दिया गया है, उन भूखण्डों पर Title Suit विचाराधीन है। उनके द्वारा आयोग को सर्वप्रथम Title Suit No.245/2020 का अवलोकन कराया गया तथा आयोग को बताया गया कि इस वाद में स्वयं कार्यपालक पदाधिकारी, डुमराँव, नगरपालिका पक्षकार है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Schedule-03 में अंकित भूखण्ड को सर्वे में सरकारी भूमि दर्शाया गया है, जिसके विरूद्ध उनके द्वारा वाद दायर किया गया है। उनके द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया गया कि जिस भूखण्ड का दावा सरकार करती है, उसके लिये कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा Demand कैसे Raise किया गया। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के पक्ष में चंपा देवी द्वारा किये गये बख्शीशनामा के विरूद्ध भी Title Suit No.568/2013 विचाराधीन है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इस संबंध में उनके द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डुमराँव को सूचित भी किया गया था कि उनके द्वारा भेजा गया Demand किस Holding के विरूद्ध है, इसकी जानकारी उपलब्ध करायी जाये, परन्तु उनके द्वारा अबतक अपना कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा अपना Holding Tax जिसका Holding संख्या–09 है, का पूरा का पूरा Holding Tax ससमय जमा कर दिया था। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा वाद–पत्र में संलग्न बकाया रहित प्रमाण–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये, पूरक शपथ–पत्र में जिस 1.5 धूर(Deed संख्या–7681, दिनांक–14.09.2020) एवं वाद–पत्र के साथ संलग्न एक धूर (Deed संख्या–1006, दिनांक–12.11.2020) का दावा किया जा रहा है, वह वास्तव में Holding संख्या–09 का ही अंश है, अर्थात् उन दोनों भूखण्डों का Holding Tax Holding संख्या–09 के साथ ही जमा किया जा चुका है।

5. वाद के निष्पादन हेतु दो बिन्दुओं पर स्पष्टता एवं तथ्य का उजागर होना आवश्यक था प्रथम कि क्या Title Suit में प्रतिवादी पक्षकार है, अथवा नहीं तथा द्वितीय क्या Holding संख्या–09 में प्रतिवादी द्वारा दोनों Plot जिसकों उनके द्वारा क्रमशः श्री संतोष गोंड एवं श्री मोती लाल गोंड से क्रय किया गया है, शामिल है, अथवा नहीं। अतः आयोग द्वारा पूरक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन पदाधिकरी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर से प्राप्त किया गया तथा **नैसर्गिक न्याय**

के नियम के तहत दोनों पक्षों को पूरक प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुये, उन्हे इस पर अपना–अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पूरक प्रतिवेदन पर जो तर्क प्रस्तुत किया गया, उसका सारांश निम्नवत् है:–

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि जैसा कि दावा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता कर रहे थे कि श्रीमती सुनीता गुप्ता द्वारा खरीदे गये, दोनों भूखण्ड Holding No.09 के भाग है तथा इनका Holding Tax Holding No.09 के Tax के साथ जमा किया जा चुका है, जबकि प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो चुका है कि उक्त दोनों प्लॉट अलग–अलग है तथा Holding No.09 के भाग नहीं है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि दोनो प्लॉट का Holding Tax अदा नहीं किया गया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को Gift Deed के रूप में जो भूखण्ड प्राप्त हुआ है, उसका भी Holding Tax देना चाहिए, क्योंकि वह भूमि उनके नाम पर दर्ज है और इसका दावा भी करती हैं।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी जिस Gift Deed से प्राप्त भूमि के Tax के अदायगी नहीं होने का दावा करते है, यदि वह सारी भूमि उनके मुवक्किल को दे दी जाती है, जिसपर Title Suit चल रहा है, वह बिना किसी प्रतिरोध के सभी Holding Tax अदा कर देगीं और उन्हें पद त्याग करने में भी कोई समस्या नहीं होगी।

आगे उनके द्वारा प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन के कमियों की तरफ आयोग का ध्यानाकृष्ट किया गया तथा आयोग को बताया गया कि नजरी नक्शा से यह स्पष्ट नहीं है कि नजरी नक्शा में किसी प्लॉट को अंकित किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवेदन के अनुसार श्रीमती सुनीता गुप्ता के द्वारा क्रय की गयी भूमि को Holding No.01 रघुनाथ राम कानू के नाम से अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि Holding रघुनाथ राम कानू के नाम पर अंकित है, उनके मुवक्किल की Liability कहाँ से निर्धारित होती है। उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके मुवक्किल का Sale Deed Disputed एवं Illegal है, क्योंकि उनके द्वारा इसके Legal Owner से नहीं खरीदा गया है। आगे उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि Registered Sale Deed केवल Transfer of Property का अभिलेख है, न कि Ownership का।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता आयोग को Mislead करने हेतु गलत तथ्यों एवं तर्कों का सहारा ले रहे है। विगत् सुनवाई में इनके द्वारा दावा किया गया था कि उनके मुवक्किल द्वारा खरीदे गये उक्त दोनों प्लॉट का Holding Tax Holding No.09 के साथ जमा कर दिया गया है, क्योंकि उक्त दोनों प्लॉट Holding No.09 के भाग है, परन्तु जब जाँच से यह स्थिति स्पष्ट हो गयी कि उक्त दोनों भूखण्ड Holding No.09 से दूर और अलग अवस्थित है, तब उनके द्वारा इसे Disputed Property कहा जा रहा है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वास्तव में रघुनाथ राम कानू का इस वाद से कोई संबंध नहीं है। श्री रघुनाथ राम कानू की मृत्यु काफी पूर्व वर्ष–1976 में हो चुकी है तथा उनके नाम से पूरे नगर क्षेत्र

में कई Holding कायम है, जो कि प्रतिवेदन से स्पष्ट है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका वाद स्वयं प्रतिवादी के नाम से अर्जित भूमि के Holding Tax नहीं करने से संबंधित है। उनके वाद का मुख्य आधार उनके पति अथवा ससूर या दादा ससूर के संपति या Holding से संबंधित नहीं है। प्रतिवादी द्वारा जिस भूखण्ड को खरीदा गया है, वह उनके पूर्व से खरीदे गये भूखण्ड के चौहदी से सटा हुआ है। चूँकि खरीदा गया भूखण्ड अलग Holding है, अतः Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के आलोक में उन्हें उक्त भूखण्ड का Holding Tax अदा करनी चाहिए। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा सलग्न किये गये, Sale Deed के चौहदी का अवलोकन आयोग को कराया गया। उनके द्वारा आयोग को दिखाया गया कि खरीदे गये प्लॉट का उत्तरी हिस्सा सुनीता गुप्ता के प्लॉट से सटा हुआ था, जबकि दक्षिणी हिस्सा मदन गौंड के प्लॉट से सटा हुआ था। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इस प्लॉट को खरीदने के उपरांत उनके द्वारा मदन गौंड से भूमि खरीदा गया है, जिसका खाता, खेसरा अलग है, जो कि इनके पति प्रताप नारायण गुप्ता के खरीदे गये प्लॉट से सटा हुआ है।

उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी, बक्सर द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका प्रतिवेदन सही एवं अभिलेखों के आधार पर है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि किसी भूखण्ड या Holding को खरीदने के 30 दिन के भीतर क्रय करने वाले व्यक्ति की वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह क्रय किये गये भूमि या Holding का Mutation नगर परिषद् में अपने नाम से करालें तथा नियमानुसार Holding Tax अदा करें। ऐसा नहीं करने पर जब मामला संज्ञान में आता है, तब Holding Tax Penalty एवं ब्याज सहित वसूल की जाती है, परन्तु जबतक Holding का नामांतरण नहीं कराया जाता है, तबतक यह पुराने Owner के नाम पर दर्ज रहता है।

6. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–637/पं0, दिनांक–26.06.2024, पत्रांक–1262/पं0 दिनांक–13.09.2024 तथा पत्रांक–470/पं0 दिनांक–28.02.2025 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी(न0पा0), बक्सर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् है:–**

"नगर परिषद् डुमराँव के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं कागजातों की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में निम्नलिखित तथ्य पाया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

| क्र0सं0 | वादी द्वारा दिए गए संपत्ति का विवरण | संपत्ति का मालिकाना हक | प्रतिवादी से संबंध | संपत्ति की भौतिक अवस्थिति | | Holding Tax भुगतान की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पंचायत वार्ड सं0 | नगरपालिका वार्ड सं0 | दिनांक–31.03.2022 तक कुल देयता | देयता के विरूद्ध भुगतान एवं भुगतान की तिथि (साक्ष्य सहित) |
| 01. | Deed No.10046, 12-11-2020 | श्रीमती सुनीता गुप्ता | स्वयं | N.A. | 32 | 6728.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 02. | Deed No.13625 31-12-2012 | श्रीमती सुनीता गुप्ता | स्वयं | N.A. | 16 | 122617.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 03. | Deed No.11205 31-10-2012 | श्रीमती सुनीता गुप्ता | स्वयं | N.A. | 16 | 40154.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 04. | Deed No.11206 31-10-2012 | श्रीमती सुनीता गुप्ता | स्वयं | N.A. | 16 | 805594.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| | | | | | कुल– | 975093.00 | |

| क्र0सं0 | वादी द्वारा दिए गए संपत्ति का विवरण | संपत्ति का मालिकाना हक | प्रतिवादी से संबंध | संपत्ति की भौतिक अवस्थिति | | Holding Tax भुगतान की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पंचायत वार्ड सं0 | नगरपालिका वार्ड सं0 | दिनांक–31.03.2022 तक कुल देयता | देयता के विरूद्ध भुगतान एवं भुगतान की तिथि (साक्ष्य सहित) |
| 01. | खाता–378, खेसरा–546, रकवा–38D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 20375.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 02. | खाता–378/270/385, खेसरा–546/588/591/547 रकवा– 1A 67D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 72566.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 03. | खाता–378/199, खेसरा–547/404, रकवा–78D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 36558.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 04. | खाता–378/190, खेसरा–547/407/409, रकवा–8-125D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 8284.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 05. | खाता–378, खेसरा–547, रकवा–37D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 19969.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 06. | खाता–190, खेसरा–424, रकवा–15D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 11070.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 07. | खाता–190, खेसरा–423 रकवा–26D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 15520.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 08. | खाता–526, खेसरा–3004, रकवा–533D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 5225.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| 09. | खाता–37, खेसरा–60, रकवा–1A 93.7D | प्रताप नारायण गुप्ता | पति | N.A. | 16 | 84984.00 | 21.06.2024 तक भुगतान नहीं किया गया। |
| | | | | | कुल– | 274551.00 | |

(पत्रांक–637/प0, दिनांक–26.06.2024)

| क्र0सं0 | वादी द्वारा दिए गए संपत्ति का विवरण | संपत्ति का मालिकाना हक | प्रतिवादी से संबंध | संपत्ति की भौतिक अवस्थिति | | Holding Tax भुगतान की स्थिति | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | पंचायत वार्ड सं0 | नगरपालिका वार्ड सं0 | दिनांक–31.03.2022 तक कुल देयता | देयता के विरूद्ध भुगतान एवं भुगतान की तिथि (साक्ष्य सहित) |
| 01. | Deed No.7681, 14-09-2020 | श्रीमती सुनीता गुप्ता | स्वयं | N.A. | 32 | 6883.00 | 14.09.2024 तक कर जमा नहीं किया गया है। |
| | | | | | कुल– | 6883.00 | |

(पत्रांक–1262/प0, दिनांक–13.09.2024)

| नगर परिषद् डुमरॉंव, बक्सर | | |
|---|---|---|
| वाद संख्या–68/2023(आशा देवी बनाम् सुनीता गुप्ता) में प्रतिवेदन निम्न हैः– | | |
| क्र0स0 | वर्णित बिन्दु | प्रतिवेदन |
| 01. | हॉल्डिंग नं0–09 में सम्मिलित प्लॉट की विवरणी (नजरी नक्शा क साथ)। | केदारनाथ प्रसाद वो बद्री प्रसाद वो द्वारिका प्रसाद, पिता–गुप्तेश्वर प्रसाद एक अंश, जाति–हलवाई, निवासी–निज वार्ड, नया खाता संख्या–16, पुराना खाता संख्या–526, नया प्लॉट संख्या–473, पुराना प्लॉट संख्या–3014, रकबा–2.3476 डी0, मु0– हेयात मोहम्मद खॉं की गली, सर्वे वार्ड संख्या पुराना–01, नया वार्ड संख्या–32 में स्थित है। |
| 02. | सुनीता गुप्ता द्वारा 2020 में क्रय की गयी भूमि हॉल्डिंग नं0–09 का भाग है, अथवा नहीं। (वर्ष–2020 में श्री संतोष गोड़ एवं श्री मोतीलाल गोड़ से क्रय की गई भूखण्ड की भौतिक अवस्थिति का Geotag Photography सहित)। | सुनीता गुप्ता द्वारा 2020 में क्रय की गयी, हॉल्डिंग नं0–09 का भाग नहीं है, क्रय की गयी, भूमि हॉल्डिंग नं0–01, मुहल्ला–चमार टोली में रकबा–03 धूर स्थित है। भूखण्ड की भौतिक अवस्थिति का Geotag Photography |
| 03. | रघुनाथ राम कानू जिन्दा है या मृत हो चुके है तथा उनके नाम से हॉल्डिंग सृजित है अथवा नहीं। | पूछ–ताछ के क्रम में पता चला कि रघुनाथ राम कानू की मृत्यु दिनांक–23.12.1976 का हो चुका है तथा उनके नाम से हॉल्डिंग सृजित है। जिसकी विवरणी निम्नवत् हैः–<br>1. करदाता का नाम– रघुनाथ राम कानू, मुहल्ला–चौक बाजार, वार्ड संख्या–पुराना–01, हॉल्डिंग नं0–48 है।<br>2. करदाता का नाम– रघुनाथ साह, मुहल्ला–चौक बाजार, वार्ड संख्या–पुराना–01, हॉल्डिंग नं0–42 है। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. करदाता का नाम– रघुनाथ राम कानू, मुहल्ला–चौक बाजार, वार्ड संख्या–पुराना–01, हॉल्डिंग नं0–24 है।<br>4. करदाता का नाम– रघुनाथ राम कानू, मुहल्ला– चामार टोली, वार्ड संख्या– पुराना–01, हॉल्डिंग नं0–21 है।<br>5. करदाता का नाम– रघुनाथ राम कानू, मुहल्ला– चामार टोली, वार्ड संख्या– पुराना–01, हॉल्डिंग नं0–01 है।<br>6. करदाता का नाम– रघुनाथ राम कानू, मुहल्ला हेयात मोहम्मद खाँ की गली, वार्ड संख्या पुराना–02, हॉल्डिंग नं0–09 है।<br>7. करदाता का नाम– रघुनाथ राम कानू, मुहल्ला स्टेशन रोड, वार्ड संख्या–पुराना–10, हॉल्डिंग नं0–78 है। |
| 04. | माननीय न्यायालय सब जज प्रथम, डुमराँव, जिला–बक्सर के स्वत्व वाद संख्या–245/2020 एवं माननीय न्यायालय सब जज प्रथम का मुकदमा संख्या–568/2013 नम्बरी में दायर वाद का आवेदन तथा आदेश फलक का बजाप्ता नकल का प्रति। | |

(पत्रांक–470/पं0 दिनांक–28.02.2025)

7. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर का प्रतिवेदन तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती आशा देवी (वर्तमान मुख्या पार्षद डुमराँव नगर परिषद्, बक्सर) द्वारा निर्वाचन वर्ष–2022 में वित्तीय वर्ष–2021–22 तक का अपने सभी Holding एवं परिसंपतियों का Holding Tax जमा किये बिना निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ली तथा निर्वाचित हो गयी, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) का उल्लंघन है एवं उक्त प्रावधानों के अधीन मुख्य पार्षद के पद हेतु निर्रहता का कारण है।"

**इस संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:–**

"(18)(1) If he has not paid all taxes due by him to the Municipality at the end of the financial year immediately preceding that in which the election is held."

ठीक इसी प्रकार Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के नियम–13 के प्रावधान निम्नवत् है:–

"13. Self-declaration/Self-Assessment-(1) Self- assessing their holding tax and paying it to the Municipality without waiting for a demand notice shall be the responsibility to of the tax payer or owner of the holding."

जिला प्रशासन द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों का सत्यापन किया गया, तो यह प्रमाणित पाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता के नाम से नगर

परिषद्, डुमराँव, बक्सर में कुल दो भूखण्ड जिसका Deed No.10046, दिनांक–12.11.2020 तथा Deed No.7681, दिनांक–14.09.2020 का क्रय किया गया है, जो क्रमशः नगर परिषद्, डुमराँव, बक्सर के वार्ड संख्या–16 एवं वार्ड संख्या–32 में अवस्थित हैं। उक्त दो भूखण्डों पर कोई Title Suit या भूमि विवाद नहीं है।

वादी द्वारा दिये गये शेष भूखण्डों के दस्तावेज जाँच में प्रमाणित तो हुये है, परन्तु उन भूखण्डों पर Title Suit लंबित है।

जिला के प्रतिवेदन के अनुसार यह प्रमाणित पाया गया कि प्रतिवादी के स्वयं के नाम से अर्जित उक्त दो भूखण्डों का Holding Tax अदा नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–127(3) को समग्रता एवं इससे उद्भूत Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के नियम–13 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जात है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित Holding अथवा भूखण्ड के स्वामी को स्वामित्व प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर इसकी सूचना स्वयं नगरपालिका को प्रदान करनी है साथ ही उसका Holding Tax अनिवार्य रूप से बिना माँग–पत्र के स्वयं ही जमा करना है।

प्रतिवादी द्वारा उक्त दो भूखण्डों के संबंध में अपने जवाब के पारा–11 एवं पारा–12 में विशिष्ट उत्तर दिया है कि उक्त दोनों भूखण्ड Holding संख्या–09 के अंश है तथा Holding संख्या–09 का No Dues Certificate निर्वाचन के समय नामांकन–पत्र के साथ उनके द्वारा जमा कर दिया गया था। उनके द्वारा सुनवाई के क्रम में मौखिक तर्क के रूप में भी उक्त बातें दुहराई थी, परन्तु जब उनके तर्कों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर द्वारा यह स्पष्ट प्रतिवेदन दे दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा क्रय किये गये, उक्त दोनों भूखण्ड Holding संख्या–09 के अंश नहीं है, तो प्रतिवादी के द्वारा अपने स्वयं के Sale Deed को अवैध बताया जा रहा है। प्रतिवादी का उक्त तर्क परस्पर विरोधाभाषी है एवं मिथ्या पर आधारित है, क्योंकि उक्त दोनों भूखण्डों पर कोई Title Suit या अन्य विवाद लंबित नहीं है। उल्लेखनीय है कि किसी भूमि के क्रय के उपरांत 30 दिनों के अन्दर संबंधित नगरपालिका को सूचित करने का दायित्व क्रेता के ऊपर है। प्रतिवादी को स्वयं एवं उनके परिजनों को Holding Tax जमा करने एवं संबंधित नियमों की जानकारी प्राप्त है, क्योंकि उनके एवं उनके परिजनों के अनेकों Holding कायम है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके द्वारा अंजाने में गलती हो गयी हो, बल्कि यह एक गंभीर दृष्टांत है कि उनके द्वारा आयोग में शपथ–पत्र के साथ दिये गये जवाब में गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि विचाराधीन वाद Disputed Question of Facts पर आधारित है, जिसके कारण रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में आयोग इसकी सुनवाई नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि वादी द्वारा दिये जितने भी साक्ष्य है, वह अभिलेखीय

साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। ऐसे भूखण्ड जिसको स्वयं प्रतिवादी, अर्थात् वर्तमान मुख्य पार्षद द्वारा क्रय किया गया है, उसको स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ जिला के अभिलेखों से इसकी पुष्टि भी हो गयी है। अभिलेखीय साक्ष्यों से यह भी प्रमाणित है कि उनके द्वारा उक्त क्रय किये गये भूखण्डों का न तो Holding Create कराकर Holding Tax अदा किया गया है और न ही नियमानुसार Self-Assessment के आधार पर Tax अदा किया गया है।

Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rule, 2013 के प्रभावी होने के उपरांत यह आवश्यक है कि Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rule, 2013 के नियम 13 के अधीन "Self Assessment/ Self Declaration" के तहत नगरपालिका क्षेत्र में स्थित Holding/परिसंपतियों/रिक्त भूमि का Holding Tax अदा किया जाए। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा प्रियम वाद (L.P.A. No. 184/2021) में उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधीन Holding Tax अदा न करने वाले नगरपालिका के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) के तहत निरर्हित किये जाने के आयोग के निर्णय को संपुष्टि प्रदान किया गया है।

प्रतिवादी के अन्य तर्कों का प्रतिउत्तर वादी द्वारा दिया गया है, जो प्रतिवादी के तर्को की तुलना में अधिक तर्क संगत एवं स्वीकार योग्य है तथा इनको प्रतिवादी के तर्कों पर वरीयता प्रदान की जाती है।

आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा–18 (1) में वर्णित निरर्हता संबंधित प्रावधानों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि सभी प्रावधान किसी न किसी विशेष अन्तर्निहित उद्देश्य/कारणों से प्रेरित है, तथा अधिनियम कि धारा–18(1)(K) भी इसका अपवाद नहीं है। होल्डिंग टैक्स की राशि किसी नगरपालिका के स्वयं के वित्तीय संशाधन का सबसे बड़ा श्रोत होता है। ऐसी स्थिति में विधि निर्माताओं द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों से ऐसी उम्मीद की गयी है कि उन्हें इसका पूर्णरूपेण ज्ञान हो तथा बकाया होल्डिंग टैक्स को अदा कर वह नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले आम नागरिकों के लिए वे प्रेरक एवं आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कर सके।

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी के नाम से दो ऐसे भूखण्ड है, जिनका Holding Tax अदा नहीं किया गया है, जो न केवल बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–18(1)(K) का उल्लंघन है वरन यह इन प्रावधानों के अंर्तनिहित उद्देश्यों के भी विपरीत है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती सुनीता गुप्ता द्वारा दिनांक–31.03.2023 (वित्तीय वर्ष 2022–23) तक अपने नाम से अर्जित दो भूखण्डों/परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण बकाया होल्डिंग टैक्स संवीक्षा की तिथि तक पूर्णरूपेण अदा किये बिना मुख्य पार्षद नगर परिषद्, डुमराँव(बक्सर) के पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया, जो कि बिहार नगरपालिका

अधिनियम, 2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(K) के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार उनके द्वारा मुख्य पार्षद नगर परिषद्, डुमराँव(बक्सर) का पद धारण करने हेतु अयोग्यता अर्जित कर ली गई है।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(K) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(K) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद नगर परिषद्, डुमराँव(बक्सर) के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य पार्षद नगर परिषद्, डुमराँव(बक्सर) का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) सभी प्रमाणों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रतिवादी श्रीमती सुनीता गुप्ता द्वारा गलत शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन में भाग लिया गया है। श्रीमती सुनीता गुप्ता द्वारा गलत शपथ–पत्र के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–445 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अतएव जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर के स्तर से जिला दंडाधिकारी, बक्सर के रूप में प्राप्त शक्तियों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा–447 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई वांछनीय है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

| | |
|---|---|
| ह0/– | ह0/– |
| (डॉ० दीपक प्रसाद) | (डॉ० दीपक प्रसाद) |
| **07.06.2025** | **07.06.2025** |
| राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार। | राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार। |

ज्ञापांक–68/2023 पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–68/2023 2594 पटना, दिनांक–7.6.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, बक्सर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

07/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी